



कार्यालय पुलिस नियंत्रण कक्ष आयुक्तालय जोधपुर



प्रेस-नोट (दिनांक 02.07.2024) आयुक्तालय जोधपुर

श्री राजेंद्र सिंह पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार दिनांक 01.07.2024 को वक्त 07.00 पीएम से 11.00 पीएम तक पुलिस आयुक्तालय जोधपुर क्षेत्र में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध - 185 एम.वी. एक्ट के तहत, शराब के ठेको को चैक करना व अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही का विशेष अभियान चलाया गया।

पुलिस आयुक्तालय जोधपुर क्षेत्र में समस्त वृत्त सहायक पुलिस आयुक्तगणों के नेतृत्व में समस्त पुलिस थाना अधिकारीगण को अपने-अपने थाना क्षेत्र में स्थित शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध - 185 एम.वी. एक्ट के तहत, शराब के ठेको को चैक करना व अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ अधिकाधिक कार्यवाही करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

दौराने अभियान जोधपुर आयुक्तालय जिला पूर्व एवं जिला पश्चिम में शराब पीकर वाहन चलाने वाले कुल - 22 वाहन चालकों के विरुद्ध 185 एम.वी. एक्ट में तथा कुल 98 शराब के ठेको को चैक कर ठेका संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

आमजन से आग्रह है कि आपके आस-पास क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गैरकानूनी, अनैतिक, अवैध शराब बिक्री आदि की जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरंत संबंधित पुलिस थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष 100/112 पर सूचित करें।

प्रभारी
पुलिस नियंत्रण कक्ष,
आयुक्तालय जोधपुर।

